



हमीरपुर पुलिस



थाना-राठ) चोरी की घटनाओं का खुलासा, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 27/28.02.21 की रात ग्राम बसेला में हुई चोरी एवं दिनांक 02.03.21 की रात ग्राम धनौरी में हुई चोरियों के सम्बन्ध में थाना राठ में मु0अ0सं0 96/21 धारा 457/380 I.P.C. व 108/21 धारा 457/380 I.P.C. में मुकदमा पंजीकृत हुआ था उपरोक्त 02 चोरी की घटना का पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक राठ जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे जिसके फलस्वरूप थाना पुलिस द्वारा चोरी की घटना जा खुलासा किया गया एवं विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.) दीपक त्रिपाठी पुत्र शिवकुमार त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष 2.) विष्णु राजपूत पुत्र भागरीथी राजपूत उम्र 31 वर्ष नि0गण ग्राम छिबौली थाना जरिया जिला हमीरपुर 3.) नरेन्द्र पाल पुत्र शंकरपाल उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जिला महोबा 4. वीरपाल उर्फ वंटा पुत्र अज्ञात नि0 सरीला थाना जरिया जिला हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया। जिससे चौपरा मन्दिर से CHC राठ जाने वाली सडक से अभियुक्तगण 1. दीपक त्रिपाठी पुत्र शिवकुमार त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष 2. विष्णु राजपूत पुत्र भागरीथी राजपूत उम्र 31 वर्ष नि0गण ग्राम छिबौली थाना जरिया जिला हमीरपुर 3. नरेन्द्र पाल पुत्र शंकरपाल उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 96/21 धारा 457/380/411 I.P.C. से सम्बन्धित माल एक अदद कमर की पेट्टी (बिछुआ) सफेद धातु, एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु इस्तेमाली, एक जोड़ी झुमकी पीली धातु व 8000 रुपये तथा मु0अ0सं0 108/21 धारा 457/380/411 I.P.C. से सम्बन्धित रुपये 5000 रुपये बरामद किया गया। तथा अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मु0अ0सं0 108/21 धारा 457/380 I.P.C. से सम्बन्धित माल को दुकानदार राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र मूलचन्द्र नि0 ग्राम औंता हाल मुकाम मु0 पठानपुरा कछियात कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर के यहाँ बेचना बताया गया। दुकानदार राजेन्द्र कुमार सोनी के यहाँ दविश देकर मु0अ0सं0 108/21 धारा 457/380 I.P.C. से सम्बन्धित माल दो अदद जंजीर इस्तेमाली सफेद धातु, दो जोड़ी तोडिया (पायल) सफेद धातु, तीन नग बिछिया (मीना) सफेद धातु, एक अदद हाफ पेट्टी सफेद धातु, एक अदद मंगल सूत्र का लाकेट पीली धातु, दो अदद छोटे लाकेट पीली धातु बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा 413 I.P.C. में राजेन्द्र कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा पूर्व चोरी एवं अन्य घटनाओं के सम्बंध में मुकदमा पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण -

1. दीपक त्रिपाठी S/o शिवकुमार त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष नि0 ग्राम छिबौली थाना जरिया जिला हमीरपुर
2. विष्णु राजपूत पुत्र भागरीथी राजपूत उम्र 31 वर्ष नि0गण ग्राम छिबौली थाना जरिया जिला हमीरपुर

आपराधिक इतिहास

1.80/18 धारा 323/376B/452/504/506 ipc व 3(1) w sc/st act थाना जरिया

2.07/20 धारा 147/148/149/307 ipc थाना जलालपुर

3.09/20 धारा 8/20 ndps act

4. 95/20 धारा 2(b)(i)/3 ganster act

3. नरेन्द्र पाल पुत्र शंकरपाल उम्र 20 वर्ष नि० ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जिला महोबा

आपराधिक इतिहास

1. 148/20 धारा 41/411 ipc

2. 149/20 धारा 4/25 a act

3. 26/20 धारा 457/380/411 ipc

4. 268/19 धारा 380/457 ipc थाना चरखारी

5. 47/21 धारा 380/457 ipc थाना चरखारी

4. राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र मूलचन्द्र नि० ग्राम औंता हाल मुकाम मु० पठानपुरा कछियात कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर

ग्राम बसेला में हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित बरामद का विवरण

01) एक अदद कमर की पेटी (बिछुआ) सफेद धातु,

02) एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु इस्तेमाली,

03) एक जोड़ी झुमकी पीली धातु व 8,000 रुपये

ग्राम धनोरी में हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित बरामद माल का विवरण

01) दो अदद जंजीर इस्तेमाली सफेद धातु,

02) दो जोड़ी तोडिया (पायल) सफेद धातु,

03) तीन नग बिछिया (मीना) सफेद धातु,

04) एक अदद हाफ पेटी सफेद धातु,

05) एक अदद मंगल सूत्र का लाकेट पीली धातु,

06) दो अदद छोटे लाकेट पीली धातु एवं 5000 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० श्री ललित कुमार

त्रिपाठी

2. उ०नि० श्री यज्ञनारायण भार्गव

3. हे०का० सुनील कुमार

4. का० पंकज कुमार.....थाना राठ

